# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/78/2015 तारीख रजु 16.07.2015

**उनवान**

शकुंतला पत्नी रमेश जाति जाटव निवासी बड का पुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

————वादीया

**बनाम**

गुड्डी पत्नी रूपसिंह जाति जाटव वगैरह निवासी गढी बांधवा तहसील हिण्डोन हाल वासी पूठन का पुरा ग्राम पंचायत फुलवाडा तहसील हिण्डोन जिला करौली।

———प्रतिवादी(09)

उपस्थिति:—

वादी की ओर से :— मुरारि लाल करसौलिया एडवोकेट।
प्रतिवादी की ओर से :— कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 22.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 309 , 327, 326, 310 के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार—बार आवाज दिलाई गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 78/2015 शकुंतला बनाम गुड्डी अदम पैरवी, अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव )
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.14 14:56:29 IST
Reason: SelfAttested